न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 89 / 2023 (अपील)

उनवान

ललिताबाई पुत्री पुष्पाबाई पत्नी शिवप्रकाश जाति बैरागी उम्र 60 वर्ष निवासी कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्टस)

बनाम

1. पवन वैष्णव पुत्र श्री महावीर जाति बैरागी निवासी कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास तहसील कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं01 की ओर)

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 19.09.2022 न्यायालय तहसीलदार कनवास तहसील कनवास जिला कोटा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 12.07.2024

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास के आदेश दिनांक 19.09.2022 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम–1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.09.2022 को वसीयत के आधार पर पुजारियो के नाम रजिस्टर में इन्द्राज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कनवास में स्थिति आराजी ख0न0 1172 की रकबा 2.35 है0 जो कि माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा जिसकी सेवा पूजा भी अपीलाण्ट ही करती आ रही है, तथा अपीलाण्ट ही मृतक पुष्पाबाई की वारिसान है, तथा उस के बावजूद भी

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसानो की सही जांच नहीं की गई है मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर रजिस्टर में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का नाम दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने पुष्पाबाई के वारिसानो की विधि के अनुसार जांच नहीं की गई। जबकि अपीलाण्ट ही एक मात्र वारिस है, हल्का पटवारी कुन्दनपुर के द्वारा जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि पुष्पाबाई के कुन्दनपुर आने से पहले कोई वारिसान होगा तो हमे उनका कोई पता नहीं है। मात्र इस आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई । तथा अपीलाण्ट काफी लम्बे समय से मंदिर की सेवा पूजा आदि भी करती चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा मंदिर गोपाल जी महाराज की कभी भी सेवा पूजा व देखरेख नहीं की गई ,मात्र एक अंपीलाण्ट ही उक्त मंदिर की सेवा पूजा व उक्त सम्पत्ति की देखभाल करती आ रही है। अपीलाण्ट की माताजी पुष्पाबाई उक्त मंदिर की सेवा पूजा व देखरेख आदि करती थी। अपीलाण्ट पुष्पाबाई की वारिसान होने के कारण पुजारियो के रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने की प्रथम श्रेणी की अधिकारणी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.09. 2022 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट का नाम पुजारियो के रजिस्टर में दर्ज फरमाया जावे। तथा मृतक पुष्पाबाई के वारिसानो की सही तरीके से जांच करवाई जावें।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन है तहसीलदार कनवास ने पुजारियो /सेवायतो के रजिस्टर राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक 2(4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.1991 एवं परिपत्र कमांक 3(2) राज 76/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 एवं कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अभि) कोटा द्वारा भी पत्र कमांक/भू0अभि0/ एलआरसी/2018/3–8 दिनांक 22.10.2018 का प्रशासनिक आदेश की पालना से तस्दीक किया है। जिसमे किसी पक्ष को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विधिक अधिकार प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है,जहां अधिकार तय होने है। तहसीलदार ने जांच कर सभी को सुनकर आदेश प्रदान किया है। वेध वारिसान के आधार पर यह नहीं होता है मंदिर की सेवा करने वाले के आधार पर ही नाम दर्ज होते है। मौके पर मन्दिर की सेवा व जमीन की व्यवस्था रेस्पोडेट द्वारा ही जा रही है। अतः अपीलाण्ट अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2023(4) डी0एन0जी राज0 पेज 1428 प्रस्तुत किया जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

7 . हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 23.01.2023 को पेश की गई है। जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी अपीलाण्ट जब तहसील कार्यालय में दिनांक 3.01.2023 को अपना नाम दर्ज करवाने को गई तब होना बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः

अति. जिला कलक्टर
कोटा

न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

8 **वकील अपीलाण्ट का कथन है** कि ग्राम कनवास में स्थिति आराजी ख0न0 1172 की रकबा 2.35 है0 जो कि माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा जिसकी सेवा पूजा भी अपीलाण्ट ही करती आ रही है, तथा अपीलाण्ट ही मृतक पुष्पाबाई की वारिसान है, तथा उस के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने वारिसान की सही जांच नहीं की गई है मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार पर आदेश पारित कर रजिस्टर में रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने पुष्पाबाई के वारिसान की विधि के अनुसार जांच नहीं की गई। जबकि अपीलाण्ट ही एक मात्र वारिस है, हल्का पटवारी कुन्दनपुर के द्वारा जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि पुष्पाबाई के कुन्दनपुर आने से पहले कोई वारिसान होगा तो हमे उनका कोई पता नहीं है। **इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट** का कथन है कि तहसीलदार कनवास ने पुजारियो /सेवायतो के रजिस्टर राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक 2(4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.1991 एवं परिपत्र कमांक 3(2) राज76/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 एवं कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अभि) कोटा द्वारा भी पत्र कमांक/भू0अभि0/एलआरसी/2018/3–8 दिनांक 22.10.2018 का प्रशासनिक आदेश की पालना में तस्दीक किया है। जिसमे किसी पक्ष को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विधिक अधिकार प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है,जहां अधिकार तय होने है। तहसीलदार ने जांच कर सभी को सुनकर आदेश प्रदान किया है।

9 उभय पक्ष की बहस का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाते है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कनवास ने पुजारियो /सेवायतो के रजिस्टर राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक 2(4) राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.1991 एवं परिपत्र कमांक 3(2) राज76/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 एवं कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अभि) कोटा द्वारा भी पत्र कमांकं/भू0अभि0/ एलआरसी/2018/3–8 दिनांक 22.10.2018 का प्रशासनिक आदेश की पालना में तस्दीक किया। अतः तहसीलदार कनवास के आदेश दिनांक 19.09.2022 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील में पर्याप्त आधार नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है।

10 परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

11. निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा